



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 32]

नई दिल्ली, अगस्त 4—अगस्त 10, 2019, शनिवार/श्रावण 13—श्रावण 19, 1941

No. 32]

NEW DELHI, AUGUST 4—AUGUST 10, 2019, SATURDAY/SRAVANA 13—SRAVANA 19, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 247.—राष्ट्रपति, मंत्रिधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (क) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (चपरामी) भर्ती नियम 1981, (ख) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, वर्ग घ पद, भर्ती नियम, 1977, और (ग) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (दफ्तरी) भर्ती नियम, 1972 उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में बहु कार्य कर्मचारी वृंद (चपरामी, झाड़ू कश, फराश, माली, दफ्तरी, चौकीदार) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, बहु कार्य कर्मचारी वृंद (चपरामी, झाड़ू कश, फराश, माली, दफ्तरी, चौकीदार) (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

24

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति -
 - (क) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिमका पति या जिमकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या,
 - (ख) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करने के लिए आवश्यक या समीचीन है, यह संघ लोक सेवा आयोग के साथ उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु कार्य कर्मचारी वृंद (चपरासी, झाड़ू कश, फराश, माली, दफ्तरी, चौकीदार)	29* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर.1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच *(यदि अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा पदों के मामले में भरी जाएगी, आयु-सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।